

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।


अधिसूचना

राँची, दिनांक- 08/08/2024 ई०।

12/ पी५-201/2003(खण्ड)- 4791 / डब्ल्यू० पी० (एस०) सं०-63/2024 शिवेन्द्र बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-02.04.2024 को पारित आदेश एवं उक्त वाद से उद्भूत अवमाननावाद (सिविल) संख्या- 499/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के द्वितीय बैच के पदाधिकारी श्री शिवेन्द्र तथा सदृश्य मामले में समान रूप से प्रभावित श्री मुकेश कुमार महतो एवं श्री राधा प्रेम किशोर के दावों पर पुनर्विचार करते हुए समीक्षोपरांत इनकी सेवा राज्य सेवा नियमावली, 2012 के नियम-14(6) को आंशिक रूप से शिथिल करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद WP (PIL)-3594/2011 बुद्धदेव उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिकाएँ में अंतिम आदेश, अन्य न्यायादेश तथा इनकी नियुक्ति के जाँच में सरकार के अंतिम निर्णय से प्रभावित होने एवं साथ ही इसे पूर्वोदाहरण नहीं माने जाने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	संपुष्टि की तिथि
1	श्री शिवेन्द्र, पुलिस उपाधीक्षक	02.09.2014
2	श्री मुकेश कुमार महतो, पुलिस उपाधीक्षक	03.06.2015
3	श्री राधा प्रेम किशोर, पुलिस उपाधीक्षक	03.06.2015

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(ओम प्रकाश तिवारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/पी५-201/2003(खण्ड)- 4791 /

राँची, दिनांक- 08/08/2024 ई०।

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/पी५-201/2003(खण्ड)- 4791 /

राँची, दिनांक- 08/08/2024 ई०।

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड राँची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा- 14/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा-12 एवं 13/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।